संख्या 19024/1/2009-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः व्यक्तिगत मामलों में एअर इंडिया के अतिरिक्त अन्य एयरलाइनों में हवाई यात्रा हेतु छूट प्रदान करने के लिए वित्तीय सलाहकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन – संबंधी।

इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 जुलाई, 2009 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार की सभी हवाई यात्राओं के मामलों में, जहाँ हवाई यात्रा व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, अधिकारियों को केवल एअर इंडिया द्वारा ही यात्रा करनी होगी। परिचालनगत अथवा अन्य कारणों से अथवा उपलब्धता न होने की स्थिति में एअर इंडिया के अतिरिक्त अन्य एयरलाइनों द्वारा यात्रा के मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में छूट प्रदान करने की शक्तियाँ नागर विमानन मंत्रालय को निहित थीं।

इस विषय पर नागर विमानन मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया गया है। तदनुसार, मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों को यह शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं कि वे स्वायत्त निकायों के व्यक्तिगत मामलों में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय, दोनों प्रकार की हवाई यात्रा हेतु एअर इंडिया के अतिरिक्त अन्य एयरलाइनों में यात्रा के लिए छूट प्रदान कर सकें। संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार एअर इंडिया के अतिरिक्त अन्य एयरलाइनों द्वारा हवाई यात्रा के लिए छूट प्रदान करेंगे। वित्तीय सलाहकारों के स्वयं के व्यक्तिगत मामलों में एअर इंडिया के अतिरिक्त अन्य एयरलाइनों द्वारा हवाई यात्रा की स्वीकृति संबंधित मंत्रालय के प्रशासनिक सचिव द्वारा प्रदान की जाएगी।

व्यक्तिगत दावों के विनियमन हेतु, एयर इंडिया के अतिरिक्त अन्य एयरलाइनों में यात्रा के लिए छूट प्राप्त करने संबंधी दिशानिर्देश एवं प्रपत्र परिशिष्ट-क एवं ख में संलग्न हैं।

(निर्मला देवी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23093276

प्रेषितः
सभी वित्तीय सलाहकार (सूची अनुसार)

प्रतिलिपिः
सचिव, सभी मंत्रालय/विभाग (सूची अनुसार)

एअर इंडिया के अतिरिक्त अन्य एयरलाइनों से यात्रा हेतु छूट प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश

1. छूट प्राप्त करने हेतु अनुरोध निर्धारित प्रपत्र (**परिशिष्ट-ख**) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. छूट हेतु अनुरोध यात्रा की दिनांक से कम-से-कम **7 कार्य दिवस पूर्व** समेकित वित्त प्रभाग (Integrated Finance Division) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. जिन सेक्टरों के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सामान्य/सामूहिक (General/Blanket) छूट प्रदान की जा चुकी है, उन मामलों में पृथक रूप से छूट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
4. जो अधिकारी **सीटों की अनुपलब्धता (Non-Availability of Seats - NAS)** के आधार पर छूट चाहते हैं, उन्हें अधिकृत यात्रा एजेंटों द्वारा जारी NAS प्रमाण-पत्र अथवा एअर इंडिया की वेबसाइट का संबंधित सेक्टर का स्क्रीनशॉट संलग्न करना होगा।
5. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या :**19024/1/2009-ई.IV** दिनांक **13 जुलाई, 2009** के अनुसार, जिन सेक्टरों पर किसी भी एयरलाइन की सीधा संपर्क उपलब्ध नहीं है, वहाँ कर्मचारी को निकटतम हब तक एअर इंडिया से यात्रा करनी होगी। शेष यात्रा खंड के लिए छूट प्रदान की जाएगी।
6. अवकाश यात्रा रियायत (**LTC**) का लाभ लेते समय एअर इंडिया के अतिरिक्त अन्य एयरलाइनों से यात्रा हेतु छूट केवल **असाधारण परिस्थितियों** में ही प्रदान की जाएगी। किसी विशेष दिन/समय पर एअर इंडिया की उड़ान या सीट उपलब्ध न होना छूट प्राप्त करने का वैध आधार नहीं माना जाएगा।
7. कम किराया उपलब्ध होना छूट प्राप्त करने के लिए कोई मानदंड नहीं होगा।
8. जो अधिकारी किसी निश्चित समय पर बैठक में भाग लेने के आधार पर छूट चाहते हैं, उन्हें बैठक की सूचना तथा अनुमोदित भ्रमण कार्यक्रम संलग्न करना होगा।
9. विदेशी यात्रा के मामलों में, जहाँ पूर्ण अथवा आंशिक अनुदान प्राप्त होता है, यात्रा उस स्थान तक एअर इंडिया द्वारा की जानी चाहिए जहाँ तक एअर इंडिया की सेवा उपलब्ध हो, तथा शेष सेक्टर हेतु छूट प्राप्त की जानी चाहिए। जिन अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर एअर इंडिया के **कोड-शेयर साझेदार** उपलब्ध हैं, उनका उपयोग किया जाना आवश्यक होगा।
10. विदेश से आमंत्रित व्यक्तियों की यात्रा, यदि भारत सरकार के व्यय पर की जा रही हो, तो यथासंभव उन्हें एअर इंडिया अथवा एअर इंडिया की कोड-शेयर उड़ानों में बुक करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
11. निर्धारित समय सीमा तक अनुमोदन प्राप्त न होने की स्थिति में, किसी व्यक्ति को छूट का दावा **अधिकार के रूप में** करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

परिशिष्ट-ख

एअर इंडिया के अतिरिक्त अन्य एयरलाइनों से यात्रा हेतु छूट प्रदान करने के लिए प्रपत्र

क्र. सं.	सूचना का विवरण	टिप्पणी
1.	नाम	
2.	पदनाम	
3.	संगठन/प्रभाग का नाम	
4.	यात्रा की तिथि	
5.	क्या यात्रा विदेशी / घरेलू / एलटीसी के अंतर्गत है	
6.	शासकीय यात्रा के मामले में, अनुमोदित भ्रमण कार्यक्रम की प्रति।	
7.	क्या नियमों के अनुसार हवाई यात्रा के लिए पात्र हैं। यदि नहीं, तो हवाई यात्रा हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति।	
8.	एअर इंडिया के अतिरिक्त अन्य एयरलाइनों (विदेशी/घरेलू) में यात्रा की अनुमति प्राप्त करने हेतु विस्तृत कारण।	
9.	उपर्युक्त कारणों के संबंध में एअर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट तथा सरकार द्वारा अधिकृत यात्रा एजेंसियों, अर्थात् अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स, बाल्मर लॉरी कंपनी तथा आईआरसीटीसी के साथ पत्राचार का प्रिंटआउट अथवा एअर इंडिया एवं उक्त एजेंसियों से प्राप्त आधिकारिक पत्राचार संलग्न करें।	
10.	विदेशी यात्रा के मामले में, क्या संपूर्ण अथवा आंशिक यात्रा एअर इंडिया के गठबंधन भागीदार (Alliance Partner) के माध्यम से प्रस्तावित है।	
11.	यात्रा करने वाले अधिकारी का यह उपक्रम कि यदि एअर इंडिया के अतिरिक्त अन्य एयरलाइन से यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है, तो वह संबंधित सेक्टर में परिचालित विभिन्न निजी एयरलाइनों के विकल्पों में से अपनी पात्र श्रेणी में उपलब्ध न्यूनतम किराए वाला टिकट ही प्राप्त करेगा/करेगी।	

(यात्रा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर)

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)

प्रशासनिक प्रभाग / मंत्रालय की अनुशंसा

(संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर)

टिप्पणी: यदि यात्रा करने वाला अधिकारी मंत्रालय में **संयुक्त सचिव अथवा उससे उच्च पद** पर कार्यरत है, तो ऐसे मामलों में संगठनाध्यक्ष की पृथक स्वीकृति तथा प्रशासनिक प्रभाग/मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। ऐसे मामलों में यात्रा करने वाले अधिकारी (संयुक्त सचिव एवं उससे उच्च पद के अधिकारी) द्वारा स्व-प्रमाणन ही उक्त अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त होगा।